भी शिकार हैं जिनमें अधिकांश हरिजन एवं आदिवासी हैं । भूस्वामी दाल की अतिरिक्त मात्रा को व्यापारियों के हाथ बेच देते हैं । व्यापारी खेसारी दाल को बेसन में मिलावट के काम में लाते हैं ।

मैं सरकार से साग्रह अनुरोध करता हूं कि खेसारी दाल की खेती पर तुरन्त प्रतिबन्ध लगाया जाय । इसके अतिरिक्त उस क्षेत्र में सिंचाई के साधनों का विस्तार किया जाए जिसके वहां खेसारी के स्थान पर अन्य फसलों का उत्पादन किया जा सके किसी भी स्थति में श्रमिकों को उनकी मजदूरी के रूप में खेसारी दाल का भुगतान प्रभावकारी ढंग से रोका जाये । केन्द्रीय सरकार सम्बन्धित प्रान्तीय सरकारों से सम्पर्क करके तत्काल आवश्यक कदम उठाएं ।

(vi) NEED TO SUPPLY ROLE FILMS TO ALL PROFESSIONAL PHOTOGRAPHERS AT DEALERS PRICE.

SHRI AJIT KUMAR SAHA (Vishnupur) : Sir, innumberable professional photographers who live on photography are totally neglected by the Government. Their grievances are unheard by the Government, particularly when the Government is controlling the imprort of films. While Hindustan Photo Films has to prepare itself for catering to the needs of growing demands in future, why should it be allowed to adopt such a policy that discriminates against the lakhs of professional photographers ? HPF is supplying roll films to professional photographers at dealers rate through Associations affiliated to the All India Federation of Photographic Trade Association only. But what is the total number of members of these Associations ? It is around 15,000 including dealers and professional photographers. Therefore, these professional photographers are getting supply of a quota per month of HPF films at dealers price. But what about the lakhs of other professional photographers who are to procure their films requirements from the open market at much higher price than that of dealers ? It must be kept in view that these unfortunate professional photographers are the ultimate consumers and whatever is produced and imported by HPF, that should be for the consumers and not for dealers.

Therefore, I urge upon the Government that all professional photographers be supplied 40 rolls of 120 size films per month at dealers price for their consumption as supplied to the professionals of 6 zonal Associations; all Associations of professional photographers be recognised by the HPF on minimum conditions to be agreed upon between the HPF and the Associations ; a permanent negotiating machinery be set up in different zones to hear and redress the grievances of professionals through their Association by the HPF ; administration be geared up to make direct supply to professionals at dealers price for their consumption and until their consumption and until then the professionals may be linked with dealers of their choice to get their quota for 40 rolls of 120 size films per month at dealers price.

(vii) NEED FOR STEPS TO TRACE THE TOURIST PARTY FROM TAMIL NADU REPORTD MISSING IN NEPAL,

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस) : गत रविवार को समाचार-पत्रों में एक बड़ा सनसनीखेज समाचार प्रकाशित हुआ है कि तमिलनाडु के दो सौ पर्यटकों का एक पूरा दल जो नैपाल में पशुपतिनाथ के दर्शन करने के लिए जा रहा था लापता हो गया है और इस दल को लापता हुए अब लगभग तीन सप्ताह का समय बीत चुका है । बताया जाता है कि यह दल काठमंडू और रक्सौल के बीच कहीं लापता हुआ है । यह भी पता

[श्री चन्द्रपाल शैलानी]

चला है कि इस दल को खोजने के लिए तमिलनाडु की पुलिस बिहार और नेपाल की पुलिस के सहयोग से जांच कर रही है किन्तु अभी तक पर्यटकों के उस दल का कोई सुराग नहीं मिल पाया है।

मान्यवर, यह दो सौ व्यक्तियों के जीवन मरण का प्रश्न है और एक बहुत ही गम्भीर मामला है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह किसी केन्द्रीय एजेन्सी के द्वारा इस दल के सदस्यों को ढूंढने के लिए तुरन्त प्रभावी कार्यवाही करे और सही स्थिति की जांच करके बताये कि इसके पीछे किन तत्वों का हाथ है और यह दो सौ पर्यटकों का दल किस स्थान पर और कैसे लापता हुआ।

(viii) NEED FOR IMPOSITION OF RESTRICTIONS ON POSSESSION OF ARMS BY PEOPLE IN THE COUNTRY.

श्री राम लाल राही (सिसरिख) : श्रीमन्, आयुध एवं आग्नेय अस्त्र भय के प्रतीक हैं। ज्यों-ज्यों इनका विकास एवं फैलाव हो रहा है, निरन्तर प्राणीमात्र भय, आतंक एवं शोषण का शिकार होता रहा है। सामन्ती युग में सामन्त आग्नेय अस्त्रों की बदौलत ही सर्वसाधारण को दासता के शिकंजे में जकड़े थे। क्योंकि जन साधारण की यह विनाशकारी अस्त्र पहुँच के बाहर थे। आज के इस पूंजीवादी युग में भी इन्हीं की बदौलत सर्वसाधारण शोषण व अत्याचार का शिकार है।

ज्यों-ज्यों आग्नेय अस्त्र एवं आयुध भारत भूखण्ड के ग्रामीण अंचलों तक फैलते जा रहे हैं, जघन्य अपराधों को जन्मते व बढ़ाते जा रहे हैं। निरन्तर भय, आतंक और तनाव का वातावरण बनता जा रहा है, जहां आग्नेय अस्त्र प्राणीमात्र के लिये घातक एवं विनाशकारी सिद्ध हो रहे हैं, वहीं जाने या अन्जाने इन्हीं के कारण कानून के माध्यम से लोग मृत्यु दण्ड के शिकार होते जा रहे हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय संगठन ऐमनेस्टी इन्टरनेशनल ने विगत वर्षों में मनुष्य के जीने के मौलिक अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए प्राण दण्ड देने की व्यवस्था के वैधानिक अधिकार को समाप्त करने के लिए दुनियां के विभिन्न देशों में आवाज लगाई है और लिए गये निर्णय को अमली रूप देने के लिए भारत सहित अन्य देशों से आग्रह किया है। ऐमनेस्टी इन्टरनेशनल का यह निर्णय तर्क एवं न्यायसंगत तथा मानव मात्र के लिए महत्वपूर्ण है। परन्तु प्राण दण्ड देने के कारण कहां से उत्पन्न होते हैं, यदि इस पर विचार किया जाय तो निश्चय ही आयुध एवं आग्नेय अस्त्रों तथा ऐसे प्राणघातक अस्त्र जो सामन्ती एवं शोषण मनोवृत्ति के प्रतीक हैं इनके विवरण पर नियन्त्रण लगाने और बितरित किये गये आग्नेय अस्त्रों को वापस लिये जाने पर गम्भीरता से विचार कर ठोस कदम उठाने की जरूरत होगी। मेरी राय में सर्वसाधारण को शोषण, अन्याय, भय और आतंक से यदि मुक्त कराना है, तो इसे सरकारी क्षेत्रों के सीमित हाथों में ही रखने पर विचार करना होगा।

भारतीय गणराज्य के विभिन्न राज्यों में लगभग तीन-चार दशकों में ज्यों-ज्यों आग्नेय अस्त्र वैधानिक रूप से बितरित होते रहे हैं वहीं अवांछनीय तत्वों में भी इनका विकास व विस्तार अबाध गति से हुआ है और उसी के अनुपात में प्राणीमात्र का विनाश एवं जघन्य अपराधों का विकास होता रहा है। आज यदि जघन्य अपराधों में अपार वृद्धि हुई है और जन-जीवन नष्ट हो रहा है, लोग भयभीत हैं, तो इसका